प्रस्ताव संख्या –**FP/UP/Approach/48833/2020**

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन एवं वन्यजीव प्रभाग, फतेहपुर

पत्रांक –3718/27–4 फतेहपुर, दिनांक –12 /04/2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

विषय :– हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 कानपुर द्वारा फतेहपुर जनपद के अन्तर्गत फतेहपुर–जोनिहा मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के किमी0 स्टोन संख्या 14.200 के मध्य बांयी पटरी पर, गाटा संख्या 1502, ग्राम – असवार तारापुर, परगना – फतेहपुर, तहसील – फतेहपुर, जिला–फतेहपुर (उ0प्र0) में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण में प्रभावित 0.08047 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के पत्र संख्या – 8बी/यू.पी./06/74/2021/एफ.सी./358 दिनॉक 17.08.2022 एवं आपका पत्रांक 611/11–सी दिनांक 22.08.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित प्रस्ताव में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के पत्र संख्या – 8बी/यू.पी./06/226/2021/एफ.सी./425 दिनॉक 30.09.2021 से 19 शर्तो के साथ सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गयी थी। जिसकी अनुपालन आख्या भारत सरकार को उपलब्ध कराई गयी थी जिसमें भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के पत्र संख्या – 8बी/यू.पी./06/74/2021/एफ.सी./358 दिनॉक 17.08.2022 (छायाप्रति संलग्न है) द्वारा निर्देशित किया गया गया कि उनके कार्यालय के पत्र संख्या संख्या – 8बी/यू.पी./06/74/2021/एफ.सी./434 दिनॉक 07.10.2021 द्वारा जिलाधिकारी, फतेहपुर को प्रेषित नोटिस की अनुपालना प्राप्त न होने के कारण प्रस्ताव में विधिवत् स्वीकृति जारी नही की जा सकेगी। जिसके क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या 823/27–4 दिनांक 01.10.2022, 926/27–4 दिनांक 11.10.2022, 1418/27–4 दिनांक 03.12.2022 तथा 1871/27–4 दिनांक 05.01.2023 (छायाप्रति संलग्न है) द्वारा प्रभारी अधिकारी, आयुध कृते जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर से नोटिस की अनुपालना प्रेषित करने का अनुरोध किया गया है। किन्तु प्रभारी अधिकारी, आयुध कृते जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर द्वारा अभी तक नोटिस की अनुपालना उपलब्ध नही करायी गयी है। इस कार्यालय के पत्र दिनांक 05.01.2023 में अपनी टिप्पणी अंकित करते हुये **मौखिक रुप से अगवत कराया गया कि तत् समय प्रयोक्ता अभिकरण को जो अनापत्ति प्रमाण पत्र उनके कार्यालय द्वारा जारी किया गया था वह रिटेल आउटलेट के निर्माण हेतु था संरक्षित सड़क पटरी के गैर वानिकी प्रयोग हेतु उनके कार्यालय द्वारा कोई भी अनुमति नही दी गयी है।**

अतः वन संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन हेतु इस कार्यालय द्वारा कृत कार्यवाही को पुनः संलग्न करते हुये इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया प्रकरण में सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुये विधिवत् स्वीकृति/अग्रिम कार्यवाही करवाने की कृपा करें।

संलग्नक :– यथोपरि।

भवदीय

(रामानुज त्रिपाठी)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन एवं वन्यजीव प्रभाग, वी.आई.पी. रोड, सिविल लाईन्स, फतेहपुर उत्तर प्रदेश 212601
05180-224493 dfofatehpur@gmail.com